न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

न0 73 /18 तारीखरजू:– 20-11-18

उनवानः– रामखिलाडी आदि बनाम मुरारी वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री रामभरोसी गुप्ता हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 02.01.2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 22/0.12 है0, 35/0.40 है0, 36 रकवा 0.30 है0, 80 रकवा 0.34 है0 कुल किता 4 कुल रकवा 1.16 है0 ग्राम फौजीपुर पटवार हल्का बदलेटा खुर्द तहसील टोडाभीम जिला करौली रिकार्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश दिए जाते है।

5353-54
21-11-18

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 02.01.2019 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

2.1.19 प्रार्थी वकील उप0 / अप्रार्थी बापजूद सूचना उपस्थित नहीं हो
P.O. सा0 अवकाश पर हो आईन्दा दि0 24-1-19 को पेश हो।

24.1.19
वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी
भ्रमणपर है। अतः पत्रावली गतानुसार
दिनांक 7.2.19 को पेश हो।

7.2.19 पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जि[illegible]

दिनांक	फर्द अहकाम
21-2-19	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासन अधिकारी ....[illegible]....। है। गतानुसार दिनांक 7-3-19 को पेश हो।
7.3.19	पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 3-4-19 को पेश हो।
3.4.19	पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। गतानुसार दिनांक 14-5-19 को पेश हो।
14.5.19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश पर है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 19-6-19 को पेश हो।
19.6.19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 5.7.19 को पेश हो।
5.7.19	प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता दावा फैसला कन्फर्म करने का कथन किया। प्रार्थी वकील की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान को ता दावा फैसला पाबन्द किये जाने हेतु दिनांक 20.11.18 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

उपजिला कलक्टर
[illegible] (करौली)

Scanned by CamScanner